FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ..........

मोगाराम वगैरा बनाम पीराराम

किस्म मुकदमा रा० वाद 88/188 Rt Act नं. 16 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.2.2020 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24.2.2020 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 24.2.2020 | वादी वकील उप० प्रतिवादी की ओर से वकील रिणछाराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया व वादी साक्ष्य के रूप में वादी वकील द्वारा PW-1 व PW-2 तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 के शपथ पत्र पेश किये गये वादी वकील द्वारा प्रथम खतौनी पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। प्रतिवादी द्वारा पेश इकबालिया जवाबदावा व वादीगण की उक्त भूमि पैतृक होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर लेकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>24.2.2020<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | ओमप्रकाश<br>रामलाल<br>L.T.I. पीराराम |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:06:04 IST
Reason: SelfAttested

# .यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )**

राजस्व वाद संख्या– 16/2020

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. जोगाराम पुत्र पीराराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पीराराम
3. टीकमाराम पुत्र पीराराम
जातियान्–जाट, निवासीयान्–नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. पीराराम पुत्र अणदाराम
जाति–जाट, निवासी– नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा **88**, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक** **24/02/2020**

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा नगोणी धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1079/1028, 1083/1031, 1087/1031, 1091/1052, 1093/1066 रकबा क्रमशः 34.02, 37.02, 57.15, 17.05, 08.05 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज अणदाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:06:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय। वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण पीराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा नगोणी धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1079/1028, 1083/1031, 1087/1031, 1091/1052, 1093/1066 रकबा कमशः 34.02, 37.02, 57.15, 17.05, 08.05 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:06:04 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. जोगाराम पुत्र पीराराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पीराराम
3. टीकमाराम पुत्र पीराराम

जातियान्–जाट, निवासीयान्–नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. पीराराम पुत्र अणदाराम

जाति–जाट, निवासी– नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–16 / 2020. **निर्णय दिनांक :–24.02.2020**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.02.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नगोणी धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1079 / 1028, 1083 / 1031, 1087 / 1031, 1091 / 1052, 1093 / 1066 रकबा क्रमशः 34.02, 37.02, 57.15, 17.05, 08.05 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

24.2.2020

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**वाद के खर्चे**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:06:04 IST
Reason: SelfAttested